सिकन्दर अली v/s रामेश्वर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

19.12.18	**सिकन्दर अली बनाम रामेश्वर** पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक को पेश हुई। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त उनवानी अपील में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः अपीलांट अपील इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते है। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विड्रावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–05–2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट् द्वारा ही कथन किया जा रहा है कि चूंकि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है अतः वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील को विड्रा करना चाहता है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट् ही व्यथित थे तथा अब वह स्वयं ही उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को विड्रा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट् स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट् अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेगें। चूंकि अपीलांट् स्वयं अपील विड्रा करना चाहती है। लिहाजा अपीलांट् की अपील जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो। (डॉ. राकेश कुमार शर्मा) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर।	

Scanned by CamScanner